संख्या 757 /लो0नि-1/03(24 प्र0आ0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

2. प्रभारी मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल क्षेत्र),
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून,दिनांक 16 दिसम्बर,2003

विषय:- वर्ष 2003-2004 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड, पौड़ी के अन्तर्गत गोदियों के पानी से दोमटखाल स्कूल होते हुये सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड,पौड़ी में गोदियों के पानी से दोमटखाल स्कूल होते हुये सम्पर्क मोटर मार्ग(लम्बाई 10.00 किमी0) के रू0 139.00 लाख के आगणन की वित्तीय एवं,प्रशासकीय स्वीकृति देते हुये श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रू0 5.00 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष आगणन में उल्लिखित दरों का विशेषज्ञ विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुन: स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी कार्यों का सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाय,जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

...2...

5. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

6. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विषयक नियम के शासन के अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03- राज्य सैक्टर-02- नया निर्माण कार्य - 24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या- 2114/वित्त अनुभाग-3/03 दिनांक 11-12-2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 751 (1)/लो०नि-2/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी ।
4. निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल ।
5. श्री एल०एम० पन्त, अपर सचिव/वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, 36 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी ।
7. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
8. वित्त नियंत्रक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग देहरादून ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
उप सचिव ।